

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता (याँ0), का कार्यालय
सिंचाई याँत्रिक प्रमण्डल, दरभंगा।

ecmech.wrddarbhanga@gmail.com

Mobile No. 7463889708

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0 :-12/2026-27

दरभंगा/ दिनांक :- 10.08.2026

पत्रांक :- 913

- विज्ञापन दाता का नाम :- कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) सिंचाई याँत्रिक प्रमण्डल, दरभंगा
- विज्ञापन निर्गत करने की तिथि :- 10.08.2026
- निविदा कागजात डाउनलोड एवं अपलोड करने की अवधि :- दिनांक 22.08.2026 से 29.08.2026 के अपराहण 3.00 बजे तक।
(www.eproc2.bihar.gov.in)
- तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक 31.08.2026 को समय 3.30 बजे अप0 तक
(www.eproc2.bihar.gov.in)
- वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय :- तकनीकी बीड की स्वीकृति के बाद अलग से सूचना दी जायेगी।
(www.eproc2.bihar.gov.in)
- निविदा खोलने का स्थान :- (www.eproc2.bihar.gov.in) पर
- निविदा की वैधता अवधि :- 120 दिन
- कार्य की विवरणी :-

क्रम संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि (रु0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रुपये में)	बेल्ड्रॉन को देय प्रोसेसिंग फी (अप्रत्यापनीय)(केवल ऑनलाईन मोड में भुगतये रु0 में)	कार्य समाप्ति की अवधि	संबंधित जिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Special repair of canal gate & its components situated at K.M- 8.60(C.R.),8.60 (H/R-R), 5.18 (C.R),5.18 H/R (L+R) of kanakpura S.D,K.M-0.30 H/R of behat S.D & different point of ihanjharpur branch under Western Koshi canal Divison, Jhanjharpur	19.08044	38200.00	5000.00	1180.00	30 दिन	मधुबनी
2	Repair of canal gates and its different components at KM-0.82(R),4.27(L+R) of Kalidas Sub distributory ,KM 8.08 ER-(L) of sharaghat canal , K.M.- 2.430 HR (R),K.M.-3.536 HR(L),K.M.18.026 HR(L), K.M.22.061 HR(L) of Ugranath Branch canal,K.M.-0.66(H.R.-L) ,K.M.-12.72(H.R.-L),K.M.-12.72(H.R.-R) of Bideshw arsthan Branch canal and K.M.- 0.30 of Sankarpur minor for the year 2026-2027.	15.4056	30900.00	5000.00	1180.00	30 दिन	मधुबनी
3	Repair of canal gate & its components situated at K.M.-12.74 HR(L),24.08 ER,34.14 ER of sakri branch canal, 1.07 HR of shrirampur and K.M.4.97 HR(R), 7.50 HR & 12.62 CR of Khajauli SD under Western koshi canal division, Sakri and K.M.6.79 HR(L&R) ,12.74 CR, 32.90 ER of Kakarghati Branch canal under Western koshi canal division, Darbhanga.	26.01483	52100.00	5000.00	1180.00	40 दिन	
4	Special & general repair of Canal gates and its components situated at K.M- 7.530 (CR),K.M- 10.34 (CR), K.M.- 16.19 (CR & HR) of Kings canal, at Kamla weir and at K.M.- 0.60 (CR) of Pakri canal under Kamla Canal Division, Jaynagar(अनियोजित अभियंता के लिए आरक्षित,	33.0564	33400.00	5000.00	1180.00	40 दिन	

ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को विभाग में समुचित श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) अंकित हस्ताक्षर (Digital Signature) आवश्यक होगा। यह उन्हें वेबसाइट (www.eproc2.bihar.gov.in) से डाउनलोड करने/ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा। ई-निविदा मात्र (www.eproc2.bihar.gov.in) पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।

(ई0 मृत्युंजय कुमार झा)
कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक),
सिंचाई याँत्रिक प्रमण्डल,दरभंगा।

भ्रष्टाचारी के दबाव में मत रहें, निगरानी विभाग से मिलकर कहें।

निविदा के नियम एवं शर्तें

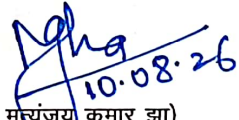
- 1(क) e-tendering/e-procurement प्रणाली के तहत निविदा हेतु बीड प्रोसेसिंग शुल्क एवं परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) का भुगतान Online mode (e-payment mode) यानी Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है।
- (ख) e-Tendering/e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली राशि online mode (e-Payment mode) अथवा Physical mode/Manual Payment System में स्वीकार्य होगा। Online mode के तहत अग्रधन की राशि Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा सकता है। Physical mode/Manual Payment System के तहत अग्रधन की राशि मात्र बिना शर्त वाली बैंक गारन्टी (as per the format in SBD) जो बीड के मान्य अवधि ((120 दिन + 45 दिन = 165 दिन) तक के लिए बिहार अवस्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से कार्यपालक अभियंता, (यॉन्ट्रिक) सिंचाई यॉन्ट्रिक प्रमंडल, दरभंगा के पक्ष में निर्गत हो। (अगर बिहार प्रान्त के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारन्टी दिया जाता है तो एकराशनामा के पूर्व इसे बिहार अवस्थित किसी बैंक से निर्गत किया जाना होगा),), विभागीय पत्रांक 88 दिनांक 29.01.2024 एवं विभागीय पत्रांक 804 दिनांक 19.10.2023 लागू होगा।
- (ग) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date & time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."
- (घ) "BSEDC Processing Fee and Tender Fee/BOQ Fee has to be paid through e-Payment mode only. EMD may be paid either through online or offline mode".
- (ङ) e-proc2 Portal पर निविदा हेतु विभागीय पत्रांक 385 दिनांक 26.08.2020 एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 752 दिनांक 21.08.2020 द्वारा निर्गत संकल्प सह ज्ञापांक पूर्णतः लागू होगा।
- (च) क्रमांक 01 से 02 के कार्य के लिए (अन्य शर्तों के अतिरिक्त)
- (i) बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या— प्रा-06/नियम/03-04/2002/134(5) पटना दिनांक 13.12.2011 के आलोक में स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी-04 के अधीन संबंधित जिला में निबंधन होना अनिवार्य होगा। तत्संबंधित अधतन निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- (छ) ई-निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) अंकित हस्ताक्षर (Digital Signature) आवश्यक होगा। यह उन्हें वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in से डाउनलोड करने की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
2. ई-निविदा मात्र वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।
3. संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाइट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाइट पर ही इलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक हैं, को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
4. किसी भी प्रकार का शुद्धि-पत्र को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द/विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
5. संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रलेख Pdf, MS Office (Compatibility Mode), JPEG, ZIP Format में ही Upload किये जाए, अन्य Format में upload documents Download/open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
6. संवेदक स्कैन पर अपलोड किए गये कागजातों की Download ability/visibility से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।
7. इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि अंतिम समय के पूर्व ही कठिनाइयों से बचने हेतु बीड को अपलोड कर लें।
8. तकनीकी बीड का मूल्यांकन निम्न मापदण्ड के अनुरूप किया जायेगा।
- (a) निविदा में भाग लेने वाले संवेदक क्रमांक— 01 से 02 पर अंकित कार्य के लिए श्रेणी -IV मधुबनी जिला के लिए निबंधित हो तथा क्रमांक— 03 पर अंकित कार्य के लिए जल संसाधन विभाग, बिहार, में समुचित श्रेणी के लिए निबंधित हो अधतन निबंधन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
- (b) निविदा में भाग लेने वाले संवेदक क्रमांक— 04 पर अंकित कार्य के लिए जल संसाधन विभाग, बिहार, में समुचित श्रेणी के तहत अनियोजित अभियंता के लिए निबंधित हो तथा अधतन निबंधन प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

W

- (c) निविदा सूचना में अंकित परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि निर्धारित स्वरूप में समुचित रूप से संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
- (d) निविदादाता द्वारा उद्योग आधार अथवा उद्यम (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises)/ S.S.I. का निबंधन प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- (e) निविदादाता को फैंक्ट्री लाईसेंस जो निविदादाता के नाम से निर्गत हो, को संलग्न करना आवश्यक होगा।
- (f) निविदा में भाग लेने वाले संवेदक को संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत मान्य(वैध) चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
9. निम्न आशय का शपथ पत्र (Affidavit निविदा निर्गत करने की तिथि के बाद का निर्गत) जमा करना अनिवार्य होगा। जो इस प्रकार है:-
- (a) यह कि मुझे किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar/Blacklisted) अथवा विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है।
- (b) "I, the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct, and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R and lawful punishment as well as black listing".
10. पथ निर्माण विभाग (बिहार सरकार) की अधिसूचना संख्या 449(S) दिनांक 16.01.2020 द्वारा प्रतिशत दर निविदा (In Percentage rate Tender), पद्धति में प्राप्त किये जाने वाली सभी प्रकार की निविदित दर कि न्यूनतम अधिसीमा को तत्काल समाप्त करते हुए परिमाण विपत्र कि दर से कम उद्धरित दर वाले निविदा के लिये (Additional Performance Guarantee) का प्रावधान किया गया है। के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।
11. निविदादाता को पार्टनरशिप डीड/ मेमोरेन्डम ऑफ एसोशियेशन/ पॉवर ऑफ एटर्नी/ ऑथरीटी लेटर की सत्यापित प्रति आवश्यकतानुसार तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
12. निविदा का न्यूनतम दर विभागीय पत्रांक 1/PMC/ न्यायालय -01/2022-536 दिनांक 18.07.2023 के अन्तर्गत होगा।
13. निविदा प्राप्ति की तिथि को राजपत्रित अवकाश घोषित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस को निश्चित समय पर प्राप्त एवं खोली जायेगी।
14. जिन निविदादाताओं को कार्य आवंटित होगा, उन्हें तत्काल एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ कर देना होगा, अन्यथा कार्य आवंटन रद्द करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
15. संवेदक/एजेंसी के विपत्र से (10%) दस प्रतिशत की राशि कटौती की जायेगी, जिसका अंतिम भुगतान सम्बन्धित असेनिक प्रमंडल के प्रभारी कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य समय पर एवं संतोषप्रद होने का समुष्टि प्रमाण-पत्र होने के पश्चात् किया जायेगा।
16. कार्य का एकरारनामा एफ 2 (कंडिका 23 विलोपित) पर किया जायेगा।
17. निविदादाताओं का दायित्व होगा कि निविदा डालने के पूर्व कार्यस्थल का निरीक्षण कर कार्य की प्रकृति एवं कार्य सम्पादन में आने वाली कठिनाईयों से स्वयं अवगत हो लेंगे।
18. लौह सामग्रीयाँ ख्यातिप्राप्त निर्माता (यथा सेल/टाटा/RINL/श्याम स्टील) कम्पनी/प्राधिकृत विक्रेता से क्रय कर उपयोग करना होगा। साथ ही क्रय किये गये सभी सामग्रीयों का Invoice मांगे जाने पर समर्पित करना अनिवार्य होगा।
19. निविदा के साथ कर्मशाला का स्थान, कर्मशाला में लगे यंत्र-संयंत्र, सक्षम तकनीकी कर्मियों (पदनाम के साथ) एवं कर्मशाला प्रमाण-पत्र की अधतन सूची संलग्न करना आवश्यक है।
20. निविदा के साथ निविदादाताओं की यंत्रिक कार्य सम्पादन हेतु कार्यपालक अभियंता (याँ0)/अधीक्षण अभियंता (याँ0), सिंचाई यंत्रिक अंचल, वीरपुर / मुख्य अभियंता (याँ0), जल संसाधन विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत कर्मशाला का प्रमाण पत्र स्थान उपलब्ध मशीनों एवं तकनीकी कर्मियों की सूची संलग्न करना होगा, कर्मशाला प्रमाण पत्र की वैधता प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक ही मान्य होगा।
21. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा धट बढ़ सकती है अतएव परिमाण विपत्र में अंकित राशि के आधार पर अग्रधन की राशि एवं निविदा संलेख का मूल्य देय होगा।
22. निधि उपलब्ध होने के पश्चात् ही कार्य का भुगतान संभव होगा।
23. प्रभारी अभियंता के निदेशानुसार एवं विशिष्टि के अनुरूप कार्य करना होगा।
24. कार्य के पूर्ण होने तक सामग्रीयों की सुरक्षा एवं भंडारण आदि की व्यवस्था की दायित्व संवेदक का होगा, एवं कार्य करने के पश्चात् पुराने लौह सामग्रीयों को प्रमंडलीय कार्यालय परिसर में अपने व्यय पर दुलाई के साथ जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके विपत्र के नियमानुसार पैनल दर कटौती कर ली जायेगी।
25. जी0 एस0 टी0 एवं आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
26. श्रमिक कल्याण निधि मद में 1% (एक प्रतिशत) की दर की कटौती की जायेगी।

W

27. संवेदक द्वारा सम्पादित कार्य एक वर्ष तक के लिए Defect Liability के अन्दर होगा। पुरे सिंचाई अवधि/बाढ़ अवधि में किसी तरह की खराबी आने पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उन्हें मरम्मत कर पुनः क्रियाशील करना अनिवार्य होगा।
28. जिन निविदादाताओं को कार्य आवंटित होगा, उन्हें एकरारनामा के समय निर्धारित अवधि में कार्य पुरा करने से सम्बन्धित स्वहस्ताक्षरित वर्क सिड्यूल (Work Schedule) (जो एकरारनामा का अभिन्न अंग समझा जायेगा) समर्पित करने के बाद ही एकरारनामा किया जायेगा एवं कार्यादेश प्राप्त होते ही यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ कर देना होगा, अन्यथा आवंटित कार्य रद्द करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
29. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को जी0 एस0 टी0 में निबंधन होना आवश्यक है एवं तत्सम्बन्धी निबंधन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
30. एक से अधिक निविदाकार के द्वारा समान न्यूनतम दर पर उद्धृत किये जाने की स्थिति में सफल निविदाकार का चयन बिहार लोक निर्माण के संहिता के नियम-163 के प्रावधान के आलोक में लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
31. क्रमांक- 01 से 03 पर अंकित कार्य के लिए सफल निविदादाताओं को कार्य आवंटन के उपरान्त एकरारनामा के समय स्वीकृत राशि का 3% (तीन प्रतिशत) जमानत की राशि के रूप में क्रमांक-1 (ख) के अनुरूप विधिवत प्रतिज्ञित हो, जमा करना होगा। इस प्रकार जमानत की राशि एकरारनामा के समय $2\% + 3\% = 5\%$ देय होगी। शेष 5% (पाँच प्रतिशत) की राशि जमानत के रूप में विपत्र से काट ली जायेगी। क्रमांक- 04 पर अंकित कार्य के लिए सफल निविदादाता के विपत्र से 9% (नौ प्रतिशत) की राशि जमानत के रूप में काट ली जायेगी। जमानत की राशि कार्य पूर्ण होने एवं सभी पहलुओं की जाँच करने के उपरान्त वापस की जायेगी।
32. बिना कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक निविदा को स्वीकार अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। रद्द किये गये निविदा के किसी प्रकार का स्पष्टीकरण बताने हेतु निर्णय लेने वाले पदाधिकारी बाध्य नहीं होंगे।
33. निविदाकार द्वारा दी गयी सूचना गलत पाये जाने पर नियमानुसार कानुनी कार्रवाई की जायेगी।
34. खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार के पत्रांक 4418 दिनांक 19.10.2024 के आलोक में संवेदको द्वारा व्यवहृत खनिज का परिवहन ई-चालान/परमिट समर्पित करना अनिवार्य होगा। परमिट समर्पित नहीं करने अथवा अवैध/फर्जी चालान पाये जाने की स्थिति में खनिज मूल्य के रूप में व्यवहृत खनिज के स्वामित्व का 25 गुणा राशि विपत्र से कटौती कर ली जायेगी।
35. जल संसाधन विभाग पटना के पत्रांक 201 दिनांक 28.02.2025 लागू होगा।
36. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
37. अनियोजित अभियन्ता के लिए आरक्षित किये गये कार्य के लिए निर्गत किये गये इससे संबंधित सभी विभागीय परिपत्र/आदेश का अनुपालन किया जाना आवश्यक है।
38. अनियोजित अभियन्ता को निविदा देते समय यह शपथ पत्र देना होगा कि उन्होंने कहाँ से और किस वर्ष डिग्री/डिप्लोमा पास किया है तथा वे अब तक अनियोजित है। शपथ पत्र गलत पाये जाने पर उनके विरुद्ध कानुनी कार्रवाई की जायेगी।
39. अनियोजित अभियन्ता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि इस वित्तीय वर्ष तक में Rs. 3.50 करोड़ का कार्य नहीं कराया गया है।


 (ई0 मृच्युंजय कुमार झा)
 कार्यपालक अभियन्ता (याँत्रिक)
 सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, दरभंगा ।
 मो0न0- 7463889708